

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1683] No. 1683] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मइ 30, 2019/ज्येष्ठ 9, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2019/JYAISTHA 9, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

का.आ.1881 (अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 123 (अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 से 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

" नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त

 2. रिक्त ।
 सदस्य

 (लोक सभा द्वारा निर्वाचित किया जाना है)

3. रिक्त । सदस्य

(लोक सभा द्वारा निर्वाचित किया जाना है)

2698 GI/2019 (1)

रिक्त । 4. सदस्य (राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाना है) नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अधीन नियुक्त निदेशक / संयुक्त सचिव, 5. सदस्य निर्यात संवर्धन प्रभारी (कृषि प्रभाग), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली। नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (ii) के अधीन नियुक्त 6. बागवानी आयुक्त, सदस्य कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली। नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) के अधीन नियुक्त 7. आर्थिक सलाहकार , सदस्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली । नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त 8. श्री स्टेने जोसेफ पोथेन, सदस्य नेदुमपुराथु एस्टेट, पंपुपारा पीओ , चित्तमपारा, इडुक्की, केरल । 9. सुश्री अन्नू श्री पूनिया, सदस्य सी-151 / ए, कमला नेहरू नगर, एक्सटेंशन -1, जोधपुर -342009, राजस्थान । 10. श्री एस.जी. मेडप्पा, सदस्य गांव और पोस्ट - शांतल्ली तालुक- सोमवरपेट , जिला- कोडागू ,

कर्नाटक ।

11. श्री पी विक्रम रेड्डी , सदस्य
5-187 / 2,
गुडलापोचंपल्ली,
मेडचल, जिला- रंगारेड्डी,
तेलंगाना ।
12. रिक्त । सदस्य
13. रिक्त । सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड.) के अधीन नियुक्त

14. डॉ. दासम उमामहेश्वर राजू , सदस्य 48-18-4 / 1, नागार्जुन नगर, गुनाडाला, विजयवाड़ा -520008, आंध्र प्रदेश ।

15. श्री भोजराज सारस्वत , सदस्य608, आनंदम सोसाइटी,व्यास कॉलोनी, नागौर,राजस्थान ।

16. डॉ वर्गीस सेबेस्टियन मूलन , सदस्य

मूलंस नेस्ट,

207, कल्लूपलम नगर,

अंगमाली-683572,

केरल ।

17. श्री टी.टी. जोस , सदस्य प्रबंध निदेशक , मास एंटरप्राइज लिमिटेड , एक्स / 563, पीबी नंबर 1, मास बिल्डिंग , बंदनमेडू पीओ, जिला इडुक्की, केरल ।

 18.
 श्री नंद्याला सत्यनारायण ,
 सदस्य

 सांता मार्केट , तडेपल्लिगुडेम -534102,

	पश्चिम गोदावरी जिला,		
	आंध्र प्रदेश ।		
19.	श्री राजेंद्र कसाट ,	सदस्य	
	कसाट ब्रदर्स कोरिएंडर ट्रेडर मंडीयार्ड,		
	कुंभराज, जिला गुना,		
	मध्य प्रदेश ।		
20.	श्री सेन थाबह	सदस्य	
	उमरोई मदान,		
	रिभोई, जिला,		
	शिलांग, मेघालय ।		
21.	रिक्त ।	सदस्य	
22.	रिक्त ।	सदस्य	
23.	रिक्त ।	सदस्य	
नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त			
24.	गुजरात राज्य से एक प्रतिनिधि ।	सदस्य	
25.	कर्नाटक राज्य से एक प्रतिनिधि ।	सदस्य	
26.	आंध्र प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि ।	सदस्य	
नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप - खंड (i) के अधीन नियुक्त			
27.	श्री धीरज नैय्यर, ओएसडी,	सदस्य	
	(आर्थिक, वित्त एवं वाणिज्य सेल),		
	नीति आयोग , संसद मार्ग, नई दिल्ली ।		
नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (छ) के उप - खंड (ii) के अधीन नियुक्त			
28.	संस्थान प्रमुख, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई ।	सदस्य	
नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के उप-खंड (iii) के अधीन नियुक्त			
29.	संस्थान प्रमुख, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ।	सदस्य	
नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के उप - खंड (iv) के अधीन नियुक्त			
30.	संस्थान प्रमुख, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट ।	सदस्य	

नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अधीन नियुक्त

31. सुश्री अनीता त्रिपाठी,

सदस्य "।

उप सचिव.

श्रम और रोजगार मंत्रालय.

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली ।

[फा. सं. 5/1/2017-बागान-घ]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 123 (अ) के द्वारा तारीख 26 फरवरी,1987 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया:

- (1) का.आ. 1159 (अ), तारीख 21.07.2006;
- (2) का.आ. 424 (अ), तारीख 04.03.2008;
- (3) का.आ. 2161 (अ), तारीख 05.09.2008;
- (4) का.आ. 937 (अ), तारीख 08.04.2009;
- (5) का.आ. 3081 (अ), तारीख 03.12.2009;
- (6) का.आ. 32 (अ), तारीख 07.01.2010;
- (7) का.आ. 1439 (अ), तारीख 15.06.2010;
- (8) का.आ. 8 (अ), तारीख 03.01.2011;
- (9) का.आ. 501 (अ), तारीख 10.03.2011;
- (10) का.आ. 327 (अ), तारीख 03.02.2014;
- (11.) का.आ. 3424 (अ), तारीख 11.7.2018;

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2019

S.O. 1881(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce notification number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial numbers 2 to 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4

2. Vacant Member

(To be elected by Lok Sabha)

3. Vacant Member

(To be elected by Lok Sabha)

4. Vacant Member

(To be elected by Rajya Sabha)

Appointed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

5. Director/Joint Secretary,

Member

Incharge of Export Promotion (Agriculture

Division), Department of Commerce,

Ministry of Commerce and Industry,

New Delhi.

Appointed under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

6. Horticulture Commissioner,

Member

Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare,

Krishi Bhavan, New Delhi.

Appointed under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

7. Economic Advisor,

Member

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce,

New Delhi.

Appointed under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4

8. Shri. Staney Joseph Pothen,

Member

Nedumpurathu Estate,

Pampupara PO, Chittampara,

Idukki, Kerala.

9. Ms. Annu Shree Poonia,

Member

C-151/A, Kamla Nehru Nagar,

Extension-1, Jodhpur-342009,

Rajasthan.

10. Shri. S.G. Medappa,

Member

Shantalli Village and Post

SomwarpeteTaluku,

Kodagu Dist.,

Karnataka.

11. Shri. P. Vikram Reddy,

Member

5-187/2,

Gundlapochampally,

Medchal, Rangareddy Dist.,

Telangana.

12.	Vacant	Member		
13.	Vacant	Member		
Appoi	Appointed under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4			
14.	Dr. Dasam Umamaheswara Raju,	Member		
	48-18-4/1, Nagarjuna Nagar,			
	Gunadala, Vijayawada-520008,			
	Andhra Pradesh.			
15.	Shri. Bhojraj Saraswat,	Member		
	608, Anandam Society,			
	Vyas Colony, Nagaur,			
	Rajasthan.			
16.	Dr. Varghese Sebastian Moolan,	Member		
	Moolans Nest,			
	207, Kallupalam Nagar,			
	Angamaly-683572, Kerala			
17.	Shri. T.T. Jose,	Member		
	Managing Director,			
	Mas Enterprises Ltd.,			
	X/563, PB No.1, Mas Buildings,			
	Vandanmedu P.O., Dist. Idukki, Kerala .			
18.	Shri. Nandyala Satyanarayan,	Member		
	Santa Market, Tadepalligudem-534102,			
	West Godavari Dist.,			
	Andhra Pradesh.			
19.	Shri. RajendraKasat,	Member		
	Kasat Brothers Coriander Trader Mandi Yard,			
	Kumbhraj, Dist. Guna,			
	Madhya Pradesh.			
20.	Shri. Sen Thabah,	Member		
	Umroi Madan,			
	Ribhoi, Dist.,			
	Shillong, Meghalaya.			
21.	Vacant	Member		
22.	Vacant	Member		
23.	Vacant	Member		
Appointed under clause (f) of sub- rule (1) of rule 4				
24.	A representative from the State of Gujarat	Member		

25. A representative from the State of Karnataka Member
 26. A representative from the State of Andhra Pradesh Member

Appointed under sub-clause (i) of clause (g) of sub-rule (1) of rule4

27. Shri Dhiraj Nayyar, OSD, Member

(Economics, Finance and Commerce Cell),

Niti Aayog, Sansad Marg, New Delhi.

Appointed under sub-clause (ii) of clause (g) of sub-rule (1) of rule 4

28. Head of Institute, Indian Institute of Packaging Mumbai Member

Appointed under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-rule (1) of rule 4

29. Head of Institute, Central Food Technological Research Institute

Member

Appointed under sub-clause (iv) of clause (g) of sub-rule (1) of rule $\bf 4$

30. Head of Institute, National Research Centre for Spices, Calicut Member

Appointed under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4

31. Ms. Anita Tripathi, Member".

Deputy Secretary,

Ministry of Labour and Employment,

Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg,

New Delhi.

[F. No. 5/1/2017-Plant-D]

B. PRAVEEN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 123 (E), dated the 26th February, 1987 and subsequently amended by the following numbers:

- (1) S.O. 1159(E), dated 21.07.2006;
- (2) S.O. 424(E), dated 04.03.2008;
- (3) S.O. 2161(E), dated 05.09.2008;
- (4) S.O. 937(E), dated 08.04.2009;
- (5) S.O. 3081(E), dated 03.12.2009;
- (6) S.O. 32(E), dated 07.01.2010;
- (7) S.O. 1439(E), dated 15.06.2010;
- (8) S.O. 8(E), dated 03.01.2011;
- (9) S.O. 501(E), dated 10.03.2011;
- (10) S.O. 327(E), dated 03.02.2014;
- (11.) S.O. 3424(E), dated 11.7.2018.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 3188] No. 3188] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ ASVINA 5, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

का.आ. 3499(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय की तारीख 26 फरवरी, 1987 के का.आ. 123(अ) के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित का और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 तथा 3 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् : -

"2. अधिवक्ता अधिष्ठाता कुरीयाकोजे,

संसद सदस्य

. . . .

लोक सभा

____3. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र,

संसद सदस्य

लोक सभा

लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य

लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य"

[फा.सं. 5/1/2017-बागान-घ] दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 26 फरवरी, 1987 के संख्यांक का.आ. 123 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं अंतिम बार संख्यांक का.आ. 1881 (अ), तारीख 30 मई, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

5052 GI/2019

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2019

S.O. 3499(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3), of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"2. Adv. Dean Kuriakose, Member of Parliament, Lok Sabha.

Member Elected by Lok Sabha

 Shri. B.Y. Raghvendra, Member of Parliament, Lok Sabha. Member Elected by Lok Sabha".

[F. No. 5/1/2017-Plant-D] DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and was last amended by *vide* number S.O. 1881(E), dated the 30th May, 2019.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215800 CG-DL-E-30012020-215800

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] No. 408] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

का.आ. 442(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय संख्यांक का.आ.123(अ) की अधिसचना तारीख 26 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4 श्री जी. वी. एल. नरसिम्हा राव,

संसद सदस्य, राज्य सभा।

राज्य सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य''।

[फा. सं. 5/1/2017-बागान-घ]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 27 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, संख्यांक का.आ. 3499(अ), तारीख 26 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

S.O. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following person as Member of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"4. Shri. G.V.L. Narasimha Rao,

Member Elected by Rajya Sabha".

Member of Parliament, Rajya Sabha.

[F. No. 5/1/2017-Plant-D]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and was last amended by *vide* number S.O. 3499(E), dated the 26th September, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 27th September, 2019.